

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 24.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Dr. Sakshi Ji Swami Maharaj के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 487 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	अपूर्व	श्री सुरेश कुमार MOB- 8318957265	9	दही चौकी उन्नाव
2	अर्नव गुप्ता	श्री मनोज कुमार गुप्ता MOB- 9839104321	6	दही चौकी उन्नाव
3	मयंक कुमार	श्री चन्द्रेश लोधी MOB- 9457181333	4	दही चौकी उन्नाव
4	तर्पित राजपूत	श्री गोपाल कृष्ण राजपूत MOB- 9870934303	1	दही चौकी उन्नाव
5	वैष्णवी राजपूत	श्री धर्मेन्द्र कुमार MOB- 6399512222	3	दही चौकी उन्नाव
6	अमन राजपूत	श्री राकेश कुमार MOB- 8429021416	1	दही चौकी उन्नाव
7	अरुण सिंह लोधी	श्री राजेन्द्र लोधी MOB- 8840344042	3	दही चौकी उन्नाव
8	आकांक्षा सिंह	श्री जितेन्द्र कुमार MOB- 7607535880	5	दही चौकी उन्नाव
9	आर्यन वर्मा	श्री संजय कुमार वर्मा MOB- 9956308458	7	दही चौकी उन्नाव
10	यश सक्सेना	श्री शेखर सक्सेना MOB- 9044321123	7	दही चौकी उन्नाव

पिया ठाकुर²

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Sakshi Ji Swami Maharaj माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, LUCKNOW संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

